

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 176वीं बैठक दिनांक 16.03.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 176वीं बैठक दिनांक 16.03.2024 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
5.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
6.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
7.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
8.	प्रो० एच.एस.तिवारी	सदस्य
9.	प्रो० संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
10.	डॉ० बबिता माझी	सदस्य
11.	डॉ० पायल बनर्जी	सदस्य
12.	प्रो० भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विकास)	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
14.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० ए.एस. रणदिवे
2. प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव
3. प्रो० सी.एस. वझलवार
4. प्रो० एस.सी. तिवारी
5. डॉ० एस. श्वेता

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारंभ में कहा कि कार्यों में एवं व्यवहार में गति एवं निरंतरता बनी रहनी चाहिए तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को एक साथ सहयोगात्मक व्यवहार के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 29.02.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 29.02.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 29.02.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 175वीं बैठक दिनांक 29.02.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।


16/03/2024


16/03/2024

- विषय क्र. 03. अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 23.01.2024 के कार्यवृत्त एवं यूजीसी के मेल पत्र पर कृत-कार्यवाही की पुष्टि पर विचार।
- निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 23.01.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय एवं सुपरन्युमरेरी सीट की जानकारी विज्ञापन में भी शामिल किया जाय।
- स्थायी समिति ने इस संबंध में यूजीसी के मेल पत्र पर कृत-कार्यवाही की पुष्टि की।
- विषय क्र. 04. अध्ययन मण्डल भौतिकी विभाग की बैठक दिनांक 27.10.2023 में अनुशंसित पाठ्यक्रम बी.एससी. 04 वर्षीय अंक योजना एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल भौतिकी विभाग की बैठक दिनांक 27.10.2023 में अनुशंसित पाठ्यक्रम बी.एससी. 04 वर्षीय अंक योजना एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।
- स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।
- विषय क्र. 05. अध्ययन मण्डल वनस्पति विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 19.02.2024 में अनुशंसित पाठ्यक्रम बी.एससी. बॉटनी 04 वर्षीय पाठ्यक्रम, अंक योजना एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल वनस्पति विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 19.02.2024 में अनुशंसित पाठ्यक्रम बी.एससी. बॉटनी 04 वर्षीय पाठ्यक्रम, अंक योजना एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क पाठ्यक्रम का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।
- स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।
- विषय क्र. 06. एम.टेक अध्यादेश क्र-76 में प्रस्तावित आंशिक संशोधन पर विचार।
- निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि एम.टेक अध्यादेश क्र-76 में प्रस्तावित आंशिक संशोधन का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 07. विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण विभागों में VRET-Exempted संवर्ग के रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु गठित समिति से प्राप्त अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण विभागों में VRET-Exempted संवर्ग के रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु गठित समिति से प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय एवं प्रवेश सूचना जारी किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

16/03/2024

16/03/2024

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

- अ.अ.वि.क्र.1 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष बी.टेक एवं एम.टेक कार्यक्रमों के अकादमिक कैलेंडर 2023-24 में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित संशोधित अकादमिक कैलेंडर 2023-24 का अनुमोदन किया जाय।
- अ.अ.वि.क्र.2 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय के महिला शोध छात्रावास में एसी युक्त कक्ष उपलब्ध कराने एवं उक्त कक्षों के लिए शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं प्रस्तावानुसार दरें निर्धारित की जाय।
- अ.अ.वि.क्र.3 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष रायपुर (छ.ग.) में विश्वविद्यालय का कैम्पस स्थापित किये जाने एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के सुसंगत धाराओं में संशोधन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रारूपित करने संबंधी गठित समिति की अनुशंसायें प्रस्तुत की गईं।
निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रारूपण समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

कुलपति/अध्यक्ष